कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी (म.प्र.)

// परिपत्र //

क्रमांक :– क्यू/कोविड–19/21 कटनी दिनांक 10/01/22

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के परिपत्र क्रं. ए/136 दिनांक 07.01.2022 के अनुक्रम में कोविड 19 संक्रमण की तीव्रता को देखते हुये, न्यायालय परिसर में भीड की रोकथाम के लिये सिविल जिला कटनी अंतर्गत जिला न्यायालय कटनी, कुटुम्ब न्यायालय कटनी एवं बाह्य न्यायालयों में **दिनांक 11.01.21 से आगामी आदेश पर्यन्त तक सभी न्यायालयों में निम्नानुसार निर्देशों के अधीन सीमित फिजीकल/भौतिक एवं वर्जुअल/आभासी सुनवाई की जावेगी :–**

सत्र न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों एवं अपर जिला न्यायालयों में अधिकतम 10 से 15 तथा व्यवहार न्यायालयों मे 15 से 25 प्रकरण निम्नलिखित प्रकृति के सुनवाई हेतु लिये जावेगे :–

1. विचाराधीन बंदियो से संबंधित मामले।
2. तीन वर्ष से अधिक पुराने सभी लंबित प्रकरण।
3. ऐसे सभी प्रकरण जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित समय सीमा में निराकरण हेतु दिशा निर्देश दिये गये है।
4. सत्र/विशेष प्रकरण/आपराधिक प्रकरण जो कि अभियुक्त परीक्षण, बचाव साक्ष्य एवं अंतिम तर्क हेतु नियत हो, जिनमें अभियोजन साक्ष्य सामाप्त होने के पश्चात अंतरिम आवेदन के निराकरण हेतु प्रकरण भी शामिल है।
5. ऐसे सभी सिविल प्रकरण जो कि प्रतिवादी/अनावेदक साक्ष्य, अंतिम तर्क एवं प्रतिवादी/अनावेदक साक्ष्य के पश्चात किसी अंतरिम आवेदन/आवेदनों के विचार हेतु नियत है।
6. ऐसे मामले जिनमें राजीनामा प्रस्तुत किया गया हो।
7. अपील सिविल एवं क्रिमिनल अथवा ऐसे प्रकरण जिनकी केवल अंतिम तर्क होना शेष है, उक्त प्रकरण की सुनवाई संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार

भौतिक सुनवाई के माध्यम से अनुज्ञेय होगी।

8. रिमांड, जमानत सुपुर्दनामा आवेदन पत्र एवं अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के आवेदन पत्र की सुनवाई संबंधित न्यायालाय के निर्देशानुसार भौतिक सुनवाई के माध्यम से अनुज्ञेय होगी।

9. जमानत आवेदन पत्र ऑनलाईन/इलेक्ट्रानिक माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किये जावेगे तथा संबंधित प्रकरण की केस डायरी की साफटकापी भी संबंधित थाने में ऑनलाईन आहूत की जावेगी।

10. दुर्घटना दावा प्रकरणों में जमा क्लेम राशि को समय पूर्व अथवा क्षतिपूर्ति राशि जमा किये जाने पर आवेदक को उक्त राशि भुगतान किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन की सुनवाई के समय आवेदक की उपस्थिति संबंधित अधिकरण के निर्देशानुसार उक्त संबंध में आदेश पारित करने के समय सुनिश्चित की जावे।

11. शेष प्रकरणों में सामान्य तिथियों नियत की जावेगी।

सामान्य निर्देश :–

1. कोर्ट मोहरिर्र/निष्पादन लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण की नियत दिनांक से पूर्व न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाओं के संबंध में यह सुनिश्चित करेगे कि प्रकरण की नियत दिनांक को आहूत किये गये साक्षी आवश्यक रूप से न्यायालय में उपस्थित हो, जिससे की नियत किये गये प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही की जा सके।

2. कोविड 19 के प्रभाव को देखते हुये सीमित फीजिकल/भौतिक सुनवाई के साथ साथ वर्चुअल/आभासी सुनवाई भी जारी रहेगी।

3. प्रत्येक न्यायालय द्वारा प्रतिदिन शाम को 5 बजे तक आगामी कार्य दिवस में नियत किये गये प्रकरणों की काज लिस्ट न्यायालय के सूचना पटल पर लगाई जावेगी तथा उसकी पीडीएफ कापी जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/सिस्टम अस्सिटेंट को प्रेषित की जावेगी, जिसे जिला न्यायालय की वेबसाईट पर एवं अन्य आवश्यक जगहों पर जानकारी एवं सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध कराया जावेगा।

4. प्रत्येक न्यायालय की कॉज लिस्ट में उल्लेखित प्रकरणों के अतिरिक्त उन तिथियों में नियत अन्य प्रकरणों में सामान्य तिथिया नियत की जावेगी, जिसकी सूचना

पृथक से दी जावेगी।

5. सूचना एवं सुविधा की दृष्टि से न्यायालयों में लगे डिस्प्ले बोर्ड कियाशील रहेगे। इस संबंध में श्री प्रियल दुबे जूनियर सिस्टम एनालिस्ट आवश्यक कार्यवाही करेगे।

6. सभी न्यायिक अधिकारी समंस की सर्विस के सामान्य मोड के अलावा साफटवेयर सी आई एस 3.2 की सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग भी करना सुनिश्चित करेगे।

7. कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी सुरक्षात्मक उपाय पूर्व की भांति अपनाये जाते रहेगे, प्रत्येक न्यायालय में उन्ही पक्षकार साक्षियों/अधिवक्तागण को प्रवेश दिया जावेगा, जिनके प्रकरण सुनवाई हेतु नियत हैं। किसी भी स्थिति में एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं रहेगे।

8. जिला नाजिर न्यायालय परिसर, न्यायालय कक्ष, टायलेट, सार्वजनिक उपयोगो के स्थान आदि की सफाई तथा समय समय पर उसका सेनेटाईजेशन कराया जाना तथा न्यायालय परिसर में लगे सभी वासवेशिन पर सेनेटाईजर रखे जाने का कार्य सुनिश्चित करेगे।

9. प्रभारी अधिकारी नजारत न्यायालय परिसर के अंदर आने वाले न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण/अधिवक्तागण एवं पक्षकार की विधिवत थर्मल स्कैनर से जांच उपरांत ही प्रवेश की अनुमति प्रदान करने हेतु कर्मचारी को अधिकृत किया जाना सुनिश्चित करेगे।

10. यदि किसी न्यायिक अधिकारी, अभिभाषक, कर्मचारी, अथवा पक्षकार को बुखार एवं फलू जैसे लक्षण है, अथवा वह कोरेटाईन/आईसोलेटेड है तो उसे न्यायालय भवन के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि किसी अभिभाषक को बुखार एवं फलू आदि है, तो वह तुरंत इस संबंध में अपने अधिवक्ता6 संघ एवं प्रधान जिला न्यायाधीश को सूचित करेगे। अध्यक्ष अधिवक्ता संघ यह सुनिश्चित करे कि कि कोई भी अधिवक्ता फेस मास्क अथवा फेसकवर के बिना न्यायालय में उपस्थित नहीं होगे, साथ ही न्यायालय परिसर एवं न्यायालय कक्ष में सामाजिक दूरी बनी रखी जावे एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जावे। अधिवक्तागण न्यायिक कार्य हेतु स्वयं की फाईल लेकर आयेगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ अधिवक्तागण को न्यायालय में उपस्थित न होने की सलाह दी जाती हैं

11. सामाजिक दूरी के मानक को आधार में रखते हुये न्यायालय के कक्ष के कुसियों एवं बैंचों को अरेंज किया जावेगा। न्यायालय तथा कार्यालय में भी स्टॉफ के बैठने की व्यवस्था करते समय सामाजिक दूरी के मानक को ध्यान में रखा जावेगा।

12. किसी भी स्थिति में न्यायालय के कक्ष या बरामडा, सार्वजनिक रास्ता, कारिडोर, या न्यायालय परिसर में भीड़ एकत्रित नहीं होगी, किसी भी प्रकार की सभा, एकत्रिकरण पूर्णतः निषेधित किया जाता है, नाजरत के स्टॉफ एवं प्रत्येक न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का यह दायित्व होगा, वह देखे कि उपरोक्त निर्देशों का पालन हो।

13. इस कार्यालय के विविध आदेश क्रं. क्यू दिनांक 19.11.2020 के परिपेक्ष्य में गठित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि इस परिपत्र में जारी निर्देशों एवं कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का समुचित पालन सुनिश्चित हो तथा संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश को नियमित रिपोर्ट भी पेश करे।

14. न्यायालय परिसर में उपस्थित पक्षकारगण, अधिवक्तागण तथा कर्मचारीगण के लिये पान, तम्बाकू, गुटखा, धूमपान का प्रयोग करना वर्जित है, निर्देशों की अवहेलना की जाना पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

15. उपरोक्त दिशा निर्देशों में कोविड संक्रमण की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये संशोधन एवं फेरबदल किया जा सकेगा तथा अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये जा सकेगे।

16. बुखार फलू या ऐसे लक्षण वाला कोई भी व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यदि किसी न्यायिक कर्मचारी को बुखार/फलू के लक्षण हो, तो वह तुरंत पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को सूचित करेगा और संबंधित अधिकारी कार्यालय को सूचित करेगे। यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक तापमान निर्धारित से अधिक पाया जाता है तो उसे न्यायालय भवन में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

17. न्यायालय परिसर में ऐसा कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, जिसका किसी न्यायालयीन कार्य से संबंध नहीं है। ऐसे अनाधिकृत व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

18. समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि बिना अनुमति के किसी भी स्थिति में मुख्यालय से बाहर प्रस्थान न करे। बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

19. समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह किसी भी परिस्थितियों में मुख्यालय के बाहर से आना जाना/अप डाउन न करे, ऐसा किया जाना पाये जाने की स्थिति में एक पक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उपरोक्त दिशा निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

(**श्यामाचरण उपाध्याय**)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी म.प्र.

पृ.कमांक :– क्यू /कोविड–19/2021/69
कटनी, दि. 10/01/2022

प्रतिलिपि :–

01. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो जज, उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय कटनी, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
04. समस्त न्यायिक अधिकारीगण/तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण जिला न्यायालय, कटनी, तहसील बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
05. जिला मजिस्ट्रेट, कटनी, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. पुलिस अधीक्षक, कटनी, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. श्री अनिल कुमार, पंचम अपर जिला न्यायाधीश/कोविड अनुपालन अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
08. अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय कटनी/बरही/वि. गढ़/ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
09 प्रभारी अधिकारी, नजारत/जिला नाजिर/नायब नाजिर जिला न्यायालय कटनी,तहसील बरही/वि.गढ़/ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर/जिला कम्प्यूटर कमेटी/जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/ असिस्टेंट सिस्टम आफीसर जिला न्यायालय कटनी एवं प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर, असिस्टेंट सिस्टम आफीसर तहसील बरही/वि. गढ़/ढीमरखेड़ा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
11. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर/जिला कम्प्यूटर कमेटी/जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/ असिस्टेंट सिस्टम आफीसर/प्रशासनिक अधिकारी जिला न्यायालय कटनी, की ओर समस्त न्यायिक अधिकारीगण/तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण एवं अधिवक्ता संघ जिला न्यायालय, कटनी, तहसील

बरही/वि.गढ़/ ढीमरखेड़ा को ईमेल आदि के माध्यम से सूचित करने हेतु।

12. उप संचालक अभियोजन/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ प्रेषित।

13. अधीक्षक, जिला जेल कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कटनी म.प्र.